अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

06 31.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 34 /2023 राज्य बनाम छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉंची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 239 / डी०सी०बी० दिनांक 05.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. चान्हो थाना कांड सं0–144 / 20 दिनांक 24.08.2020 धारा–457 / 380 / 411 भा०द०वि० 2. चान्हो थाना सन्हा सं0–06 / 23, दिनांक 18.02.2023 3. चान्हो थाना सन्हा सं0–15 / 23, दिनांक 18.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, खलारी रांची के कार्यालय का ज्ञापांक–212 / 2023 दिनांक 18.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉंची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करने का है। इनके भय के कारण आम जन इनके विरूद्ध पुलिस एवं न्यायालय तक नहीं जाना चाहते है। इनके विरूद्ध गवाह प्रस्ततु नहीं होने के फलस्वरूप ये जेल से आसानी से छूट	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

जाते है। इनके विरूद्ध कई अपराधिक कांड भी दर्ज है इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है, जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामीला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय मे कभी उपस्थित ही हुए, ना ही उन्होने कारण पृच्छा समर्पित किया है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 177/23 दिनांक 22.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करने का है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंन रखने के निमित अपराधकर्मी छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए चान्हो थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

का क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार चान्हो थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति छोटु राय उर्फ जुलफान राय पिता स्व० करामत राय निवासी ग्राम – सॉस, थाना–चान्हो जिला–रॉची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:06:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9